क्रम संख्या–067 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0

ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 217/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 में दि0 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 07, सन् 2002)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 ग्राम पंचायत की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश, 2002 का प्रतिस्थानी अधिनियम

अध्याय–1

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2- इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

3- यह दिनांक 29 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम 26 सन् 1947) जिसे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 के अन्त में नई उपधारा (3-क) का जोड़ा जाना:-

"इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी की उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां कृत्य और कर्तव्य यथास्थिति ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा"।

अध्याय-3

श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संख्या 2, वर्ष 2002 एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।